भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1698
गुरुवार, 1 अगस्त, 2024/10 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तन अवसंरचना

1698. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली विमानपत्तन के टर्मिनल–1, दमन विमानपत्तन और राजकोट विमानपत्तन पर हाल ही में अवसंरचना के कुछ हिस्से ढहने की घटनाओं से पूर्व रखरखाव सारणी और किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा क्या है और इनके कितने निरीक्षण किए गए हैं;

(ख) टर्मिनल भवन की संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) सरकार का अवसंरचनात्मक पतन अथवा विफलता की स्थिति में निजी रूप से विकसित विमानपत्तनों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए जवाबदेही और निगरानी उपायों को किस प्रकार लागू करने का विचार है;

(घ) निजी डेवलपरों द्वारा विमानपत्तन अवसंरचना में सुरक्षा और विश्वसनीयता के मानकों को बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए किन विनियामक ढांचों पर विचार किया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार का विमानपत्तनों का प्रचालन करने वाले निजी डेवलपरों के रखरखाव संबंधी कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए विशि ष्ट तंत्र कार्यान्वित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार का सुरक्षा मानकों का समय पर निरीक्षण और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विनियामक निकायों के साथ किस प्रकार सहयोग करने का विचार है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने डीजीसीए की नागर विमानन अपेक्षाएं खंड 4, श्रृंखला ख,2 भाग I और नागर विमानन अपेक्षाएं, खंड 4, श्रृंखला च, भाग I, जो एयरसाइड अवसंरचना को कवर करता है, में निहित अपेक्षाओं के अनुसार एयरसाइड अवसंरचना और सुविधाओं के संतोषजनक अनुपालन के आधार पर इन हवाईअड्डों को एयरोड्रोम लाइसेंस प्रदान किया है। उद्योग परिपाटी और प्रासंगिक सुरक्षा मानकों के अनुसार सुरक्षा और अनुरक्षण मानकों का पालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय भवन संहिताओं के अनुसार डिजाइन और निर्माण चरण के दौरान भवन सुरक्षा भी अंतर्निहित है। नियमित अनुरक्षण जांच के साथ–साथ मानसून पूर्व वार्षिक जांच भी की जाती है।

(ख) : सभी हवाईअड्डा प्रचालक को प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान/निकाय जैसे आईआईटी, एनआईटी, सीबीआरआई, ईआईएल आदि के माध्यम से हवाईअड्डा भवनों और संबंधित अवसंरचना की संरचनात्मक स्थिरता की तृतीय पक्ष संपरीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। सभी हवाईअड्डा प्रचालकों को प्रत्येक वर्ष मानसून की शुरुआत से पहले छत की शीटिंग संरचना के डिजाइन, विनिर्देशों और कारीगरी सहित भवन के सभी सिविल, वैद्युतीय और तकनीकी पहलुओं का गहन मूल्यांकन करने का भी निर्देश दिया गया है।

(ग) से (ड.) : एएआई द्वारा पीपीपी भागीदार (भागीदारों) के साथ किए गए रियायत समझौतों के अनुसार, पीपीपी भागीदारों द्वारा किए गए प्रदर्शन और अनुपालन की एएआई द्वारा स्वतंत्र इंजीनियरों, लेखापरीक्षकों, निरीक्षणों आदि के माध्यम से समय-समय पर निगरानी की जाती है। इन हवाईअड्डों के रियायतग्राही इन हवाईअड्डों के विकास और संचालन के संबंध में रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। रियायतग्राहियों को अनुबंध के अनुसार एएआई को प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों/सेवा गुणवत्ता आवश्यकता की उपलब्धि के बारे में दैनिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(च) : उपरोक्त (क) के उत्तर का संदर्भ लें।

******